टेण्डर नोटिस

पुलिस कार्यालय हमीरपुर में लेखन सामग्री जो सूची में अंकित है की आवश्यकता है। जो विक्रेता पुलिस कार्यालय हमीरपुर में वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये लेखन सामग्री की आपूर्ति करने के इच्छुक हों वे अपने रेट की सूची आपूर्ति करने के लिए लेखन सामग्री नमूना सहित सील बन्द टेण्डर आमंत्रित किये जाते है, जिसमें निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

1. लेखन सामग्री वर्ष 2021–2022 में समय–समय पर क्रय की जाएगी तथा मॉग–पत्र प्राप्त होने के तीन दिवस के अन्दर स्टेशनरी की आपूर्ति करनी होगी और प्रत्येक लेखन सामग्री की दरे जीएसटी सहित देनी होगीं स्वीकृत होने पर दिनांक 31.03.2022 तक के लिए मान्य होगा।
2. टेण्डर फार्म प्राप्त करने के लिए निविदा दाता को रूपया 100/– प्रति टेण्डर फार्म हेतु प्रधान लिपिक के पास जमा कर टेण्डर फार्म प्राप्त करना होगा।
3. जिन निविदा दाताओं के टेण्डर में नमूना एवं टेण्डर मार्क अंकित नही होगा उनका टेण्डर अस्वीकृत होगा।
4. निविदा दाता का टेण्डर फार्म स्वीकृत हो जाने के उपरान्त एक एग्रीमेन्ट दस रूपये के स्टाम्प पर दाखिल करना होगा तथा रू–10000/–(दस हजार रू0) जमानत के रूप में जमा करना होगा।
5. जमानत की धनराशि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के नाम बने एफ0डी0आर0/बचत पत्र के माध्यम से अथवा नगद हो सकती है।
6. निविदा दाता द्वारा संलग्न किये गये नमूना के अनुसार लेखन सामग्री की सम्पूर्ति करनी होगी यदि निविदा के साथ प्रस्तुत किये गये नमूने की गुणवत्ता से निम्न स्तर की सामग्री निविदा दाता द्वारा सम्पूर्ति की जाती है तो पुलिस अधीक्षक, को यह अधिकार होगा कि निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत बिल से 10 प्रतिशत कटौती कर ले।
7. निविदा दाता द्वारा टेण्डर के साथ नमूना सील बन्द व सुरक्षित रखी जायेगी एवं समय–समय पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसकी चेकिंग की जायेगी।
8. प्रस्तुत निविदाओं में जिस निविदा दाता के रेट सबसे न्यूनतम होंगे तथा आपूर्ति द्वारा नमूने की गुणवत्ता अच्छी होगी उसकी निविदा स्वीकार की जायेगी।
9. सम्पूर्ति किये जाने वाले कागज का रिम पांच सौ माना जाएगा यदि किसी सम्पूर्ति में कागज की गुणवत्ता एवं मात्रा में फर्म द्वारा कमी की जाती है तो उसके द्वारा प्रस्तुत दर में समानुपातिक रूप से कटौती करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को होगा।
10. जिस विक्रेता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे प्रस्तावित दरों पर स्वीकृति की तिथि से 31 मार्च 2022 तक सम्पूर्ति करना होगा।
11. यदि निविदा दाता प्रस्तुत दरों पर सम्पूर्ति करने में अक्षम होता है या दी गयी शर्तो का उल्लंघन करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत की धनराशि जब्त करने एवं टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को होगा।
12. स्टेशनरी क्रय किये जाने में अनुमति से 3 दिवस के अन्दर विक्रेता को स्टेशनरी आपूर्ति करनी होगी यदि स्टेशनरी की आपूर्ति उक्त समय के अन्दर नही करता है तो रू0–50/– प्रति दिन के हिसाब से विक्रेता से फाइन चार्ज लिया जायेगा। यह चार्ज 15 दिवस तक चलेगा यदि 15 दिन तक स्टेशनरी आपूर्ति नही करता है तो उसके टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार पुलिस

अधीक्षक को होगा साथ ही 10000/– की जमानत धनराशि को भी जब्त करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को होगा।

13. पुलिस अधीक्षक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा पुलिस अधीक्षक को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी निविदा को न्यून्तम होने पर बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत कर सकते है।

14. निविदा दाताओं को स्टेशनरी सम्पूर्ति के एक–एक नमूने टेण्डर के साथ देने होंगे और नमूने एक वर्ष तक पुलिस कार्यालय में जमा रहेगे। टेण्डर समाप्ति के बाद वे स्टेशनरी निविदाताओं को वापस कर दी जायेगी।

15. फर्म को आयकर एवं वाणिज्यकर कार्यालय द्वारा पंजीकृत होना चाहिए तथा जीएसटी, टिन नं0, एवं पैन नंम्बर होना चाहिए।

16. अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त ही बिल का भुगतान किया जायेगा।

17. निविदादाता को स्व–घोषित प्रमाण–पत्र देना होगा कि वह किसी भी सराकरी प्रतिष्ठान द्वारा आपूर्ति इत्यादि को लेकर, ब्लैक लिस्टेड नहीं किये गये हैं।

18. निविदा के साथ स्व प्रमाणित फर्म रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, पैनकार्ड नम्बर, आधार नम्बर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना होगा, अभिलेख न देने पर निविदा के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. फर्म के वार्षिक टर्न ओवर का विवरण संलग्न करना आवश्यक होगा।

अतः सील्ड बन्द टेण्डर क्षेत्राधिकारी लाइन/कार्यालय के द्वारा दिनांक 04-10-21 को समय प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक टेंण्डर बाक्स में डाले जायेगें निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त कोई भी टेंण्डर स्वीकार नही किया जायेगा। **रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त टेण्डर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।** टेण्डर उसी दिन खोले जायेगें। आपूर्ति किये जाने वाले लेखन सामग्री की सूची संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार
पत्रांकः ल–02/2021(लेखन समाग्री)
दिनांकः 20-9-2021

20/9/21

(कमलेश कुमार दीक्षित)
पुलिस अधीक्षक
हमीरपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय **लखनऊ** को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक बांदा/चित्रकूट/महोबा/जालौन/कौशाम्बी/कानपुर देहात/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर/प्रयागराज को सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु।
3. जिलाधिकारी हमीरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला सूचनाधिकारी हमीरपुर को एक प्रति इस **आशय** के साथ **प्रेषित है** कि उक्त टेण्डर की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में **निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट** करें।
5. प्रभारी निरीक्षक हमीरपुर को दस प्रतियां इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त टेण्डर का व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
6. दफ्तरी पुलिस कार्यालय हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड में चस्पा करना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेल,/सीसीटीएनस को टेण्डरकी प्रति यूपी पुलिस की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।